लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड १, १९५५

(२१ फरवरी से १२ मार्च १९५५)

1st Lok Sabha

नवां सत्र

(खंड १ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली ।

विषय-सूची

(खंड १, अंक १ से १५—२१ फरवरी से १२ मार्च १९५५)

अंक १ सोमवार, २१ फरवरी, १९५५ — स्तम्भ

सदस्य द्वारा शपथग्रहण — १

राष्ट्रपति का अभिभाषण . . . — १—१०

सर्वश्री बोरकर, जमनादास मेहता, साल्वे और शारदा का निधन — १०-११

स्थगन प्रस्ताब—

आन्ध्र में निर्वाचन . . — ११-१२

पटल पर रखे गये पत्र—

आठवें सत्र में पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिये गये विधेयकों का विवरण . . . — १२-१३

भारतीय विमान अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . . . . — १३-१४

सूती वस्त्र मशीनरी, कास्टिक सोडा तथा ब्लीचिंग पाउडर, मोटर गाड़ियों के स्पार्किंग प्लग, स्टीरिक एसिड तथा ओलीक एसिड, आयल प्रेशरलेम्प और रंग उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन और तत्सम्बन्धी सरकारी अधिसूचनायें तथा संकल्प . . . — १४—१६

अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . — १६

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें — १७

अत्यावश्यक पण्य अध्यादेश, १९५५ . . . . — १७

मोटर गाड़ी हैंड टायर इन्फ्लेटर उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और तत्सम्बन्धी सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना — १७-१८

भारतीय प्रशुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें — १८

श्री हरेकृष्ण महताब का त्यागपत्र . . — १८

अंक २—मंगलवार, २२ फरवरी, १९५५

स्थगन प्रस्ताब—

आन्ध्र में निर्वाचन . . — १९—२३

पटल पर रखे गये पत्र—

मद्रास अत्यावश्यक पदार्थ नियंत्रण तथा अधिग्रहण (अस्थायी शक्तियां) आन्ध्र संशोधन अधिनियम . . — २६

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) नियम . — २६

कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) नियम . . — २७

प्रैस आयोग का प्रतिवेदन, भाग २ और ३ . — २७

	स्तम्भ
१९५५–५६ के लिये रेलवे आय-व्ययक—उपस्थापित—	
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—	२७—६७
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त	
डा० एम० एम० दास	६७—७२
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	७३—७६
श्रीमती जयश्री	७६—७८
श्री वी० जी० देशपांडे	७८—८५
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	८५—८९
श्री एन० एम० लिंगम	८९—९२
श्रीमती इला पाल चौधरी	९२-९३
श्री नन्द लाल शर्मा	९३—१०२
कुमारी एनी मस्करीन	१०२—१०४
श्री एस० एन० दास	१०४—११७
श्री एस० एम० मोरे	११७—१२२

अंक ३—बुधवार, २३ फरवरी, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण	१२३-२४
अनुदानों की अनुपूरक मांगें, १९५४–५५—उपस्थापित	१२५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—बीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	१२५
सभापति तालिका	१२५
राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव—असमाप्त	१२५—२३०

अंक ४—गुरुवार, २४ फरवरी, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या २०, २१ तथा २२	२३१-३२
कर्मचारी राज्य बीमा निगम का वार्षिक वृत्तान्त तथा परीक्षित लेखा, १९५२–५३	२३२
प्राक्कलन समिति—	
बारहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२३२
भारत के औद्योगिक उधार तथा विनियोग निगम लिमिटेड सम्बन्धी विवरण	२३३—३५
सभा का कार्य—	
समय क्रम का नियतन	२३५—३९
राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव—असमाप्त	२३९—३२२

स्तम्भ

अंक ५—शुक्रवार, २५ फरवरी, १९५५

सर्वश्री आर० वी० थामस तथा ई० जॉन फिलिपोज़ का निधन . . ३२३

पटल पर रखे गये पत्र—— .

दामोदर घाटी निगम के आय व्ययक सम्बन्धी प्राक्कलन, १९५५–५६ . ३२३

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड का १-४-५३ से ३१-७-५४ तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे . . . ३२४

भारत में एक लोहे तथा इस्पात के कारखाने की स्थापना के लिये रूस के साथ क़रार का मूल-पाठ ३२४

तारांकित प्रश्न संख्या ६७७ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि . ३२४—२५

सभा का कार्य— . . . . ३२५—२६

राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव —स्वीकृत . ३२६–५९, ४१४—३६

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—बीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . . . ३५९—६०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिये कल्याण विभाग बनाने के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . . . ३६०—८२

प्रसारण निगम के बारे में संकल्प—असमाप्त . . . ३८२—४१३

अंक ६—सोमवार, २८ फरवरी, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . . . ४३७

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया ४३८

बीमा (संशोधन) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया ४३८

आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया . ४३८

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपा गया— ४३८—८०

श्री एस० एस० मोरे . . ४३९—४२

श्री एम० डी० जोशी . . . ४४२—४५

श्रीमती सुचेता कृपालानी . . . . ४४५—५०

श्री बैरो . . . . . ४५०—५२

डा० कृष्णस्वामी . . . . ४५२—५६

बाबू रामनारायण सिंह . . . . ४५६—६०

श्री एन० बी० चौधरी . . . . ४६०—६४

डा० एम० एम० दास . . . ४६४—७८

	स्तम्भ
औषध (संशोधन) विधेयक—संशोधित रूप में पारित—	४८०—५०६
विचार करने का प्रस्ताव—	
राजकुमारी अमृत कौर	४८०—८४, ४९२—९६
श्री गिडवानी . .	४८४–८५
श्री वी० बी० गांधी	४८५–८६
श्रीमती कमलेन्दुमति शाह . . .	४८७–८८
श्रीमती इला पाल चौधरी	४८८—९०
डा० रामा राव	४९०–९१
श्री धुलेकर	४९१—९२
खण्ड १ से १७—	४९६–५०४
पारित करने का प्रस्ताव	५०४–५०६
श्री कासलीवाल	५०४–०५
सरदार ए० एस० सहगल	५०५–०६
दन्तचिकित्सक (संशोधन) विधेयक—	
संशोधित रूप में पारित	५०६—०८
विचार करने का प्रस्ताव—	५०६–०७
राजकुमारी अमृत कौर . . .	५०६–०७
खण्ड १ से १७	५०७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . .	५०८
चाय पर निर्यात शुल्क बढ़ाने के बारे में संकल्प—स्वीकृत . .	५०८–१०
मूंगफली, मूंगफली की खली, मूंगफली की खली के चूरे और डीकार्टी केडेट बिनौले की खली इत्यादि के बारे में संकल्प—असमाप्त .	५११—१५
१९५५–५६ के लिये सामान्य आय-व्ययक—उपस्थापित .	५१५—६४
वित्त विधेयक पुरःस्थापित . . .	५६५–६६

अंक ७—मंगलवार, १ मार्च, १९५५

समिति के लिये निर्वाचन—	
राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय की केन्द्रीय मंत्रणा समिति . .	५६७–६८
मूंगफली, मूंगफली की खली, मूंगफली की खली का चूरा, डीकार्टीकेडेट बिनौले की खली इत्यादि के बारे में संकल्प—स्वीकृत .	५६८—९१
१९५४–५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें .	५९१—६४
विनियोग विधेयक—पुरःस्थापित तथा पारित . .	६४३—४५
आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव असमाप्त . . .	६४६—६०
श्री करमरकर . . .	६४६—६६०
श्री यू० एम० त्रिवेदी	६६०

अंक ८—बुधवार, २ मार्च, १९५५ स्तम्भ

पटल पर रखे गये पत्र—
सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही का विवरण . ६६१–६२
राष्ट्रपति से सन्देश ६६२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
इक्कीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ६६२–६३
अत्यावश्यक पण्य विधेयक—पुरःस्थापित ६६३
१९५५–५६ के लिये रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा—असमाप्त ६६३–७४०

अंक ९—गुरुवार, ३ मार्च, १९५५

१९५५-५६ के लिये रेलवे-आयव्ययक—
सामान्य चर्चा—असमाप्त ७४१–८२१, ८२२
राज्य सभा से सन्देश ८२१
श्रमजीवी पत्रकार (औद्योगिक विवाद) विधेयक—राज्य सभा द्वारा
पारित रूप में पटल पर रखा गया . . ८२२

अंक १०—शुक्रवार, ४ मार्च, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—
परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या २३ . . ८२३
अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम के अधीन अधिसूचना . ८२३–२४
सदस्य का निरोध से मुक्त किया जाना ८२४
१९५५-५६के लिये रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा—समाप्त . ८२४–७५
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—रेलवे—
मांग संख्या १—रेलवे बोर्ड . . . ८७५–७८–९१९–२२
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
उन्नीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ८७९–८०
इक्कीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ८८०–८१
खान (सशोधन) विधेयक —धारा ३३ और ५१ का सशोधन—पुरःस्था-
पित। ८८१
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक—
(नये परिच्छेद ५ क का रखा जाना)—पुरःस्थापित . . ८८१–८२
मुफ्त, बलात् अथवा अनिवार्य श्रम निवारण विधेयक—वापस लिया गया . ८८२–९६
श्री आर० के० चौधरी ८८२–८४
श्री बीरेन दत्त ८८४–८७

	स्तम्भ
श्री हेम राज . . .	८८७–९०
डा० सत्यवादी . . .	८९०–९२
श्री खंडूभाई देसाई . . .	८९२–९४
श्री डी० सी० शर्मा	८९४–९६
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—विचार के लिये प्रस्ताव—	
स्थगित—	८९६
श्रीमती जयश्री . .	८९६–९८,८९९–९००
श्री पाटस्कर	९००–९०६
भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) विधेयक—	
(नई धारा १५ क का रखा जाना)—विचार के लिये प्रस्ताव—असमाप्त—	९०६
श्री नम्बियार .	९०६–१४
श्री वेंकटारमन	९१४–१८
श्री टी० बी० विट्ठल राव . . .	९१८–२०
१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगे—रेलवे—	९२०–२२

अंक ११—शनिवार, ५ मार्च, १९५५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत और पाकिस्तान के बीच नहरी पानी का झगडा . .	९२३–२५
आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक—पारित—	
विचार करने का प्रस्ताव—	९२५–९३
श्री एन० सी० चटर्जी	९२५–२८
श्री पाटस्कर	९२८–३३
श्री एस० एस० मोरे	९३३–३७
श्री वी० बी० गांधी .	९३७–३९
श्री ए० एम० थामस	९३९–४१
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	९४१–४५
श्री एन० एम० लिंगम	९४५–४७
श्री वी० पी० नायर	९४७–५५
श्री तुलसीदास	९५५–५८
श्री झुनझुनवाला .	९५८–६०
श्री बंभल	९६०–६३
श्री हेडा	९६३–६८
श्री आर० के० चौधरी	९६८–७०
श्री अच्युतन	९७०–७२
श्री बोगावत	९७२–७३
श्री करमरकर	९७४–९३

	स्तम्भ
खण्ड १ से ५—पारित करने का प्रस्ताव— . .	९९३–९४, ९९५–९७
श्री करमरकर . . .	९९४, ९९६–९९७
श्री वी० पी० नायर . . .	९९४–९५
श्री सारंगधर दास . . .	९९५–९६
अत्यावश्यक पण्य विधेयक— प्रवर समिति को सौंपा गया— . .	९९८–१०११
विचार करने तथा प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव— . .	९९८–१०१६
श्री करमरकर . .	९९८, ९९–१००२
श्री वेंकटरामन . . .	९९८–९९
पंडित डी० एन० तिवारी . .	१००२–१००८
श्री एस० सी० सामन्त . . .	१००८–०९
श्री राघवाचारी	१००९–१०११
श्री काज़मी	१०१३–१०१४
श्री रामचन्द्र रेड्डी	१०१४–१०१५
श्री अलगेशन	१०१५
सभा का कार्य	१०१२, १०१३, १०१४
रेलवे सामान (अवैध क़ब्ज़ा) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त— . .	१०१६–१०२४
श्री अलगेशन	१०१६–१०१८
श्री नम्बियार	१०१८–१०२४
अंक १२—सोमवार, ७ मार्च, १९५५	
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	१०२५–२६
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
बाईसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	१०२६
१९५४-५५ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें—	
रेलवे —उपस्थापित . .	१०२६
१९५४-५५ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें—	
आंध्र—उपस्थापित . .	१०२६
१९५५-५६ के लिये आंध्र का आय—	
व्ययक—उपस्थापित . . .	१०२७–२८
१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगें—रेलवे—	
माग संख्या १—रेलवे बोर्ड	१०२७–११३६

अंक १३—गुरुवार, १० मार्च, १९५५ स्तम्भ

पटल पर रखे गये पत्र—

पौण्डों में दिये जाने वाले निवृत्ति वेतनों के भुगतान के बारे में दायित्व के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में भारत तथा ब्रिटेन की सरकारों के मध्य हुआ पत्र-व्यवहार ११३७

समिति के लिये निर्वाचन—

राष्ट्रीय छात्र-सेना निकाय की केन्द्रीय मंत्रणा समिति ११३७-३८

१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—रेलवे— ११३८-१२५६

मांग संख्या ३—विविध व्यय

मांग संख्या ४—साधारण कार्यवहन व्यय—प्रशासन

मांग संख्या ५—साधारण कार्यवहन व्यय—
मरम्मत और अनुरक्षण

मांग संख्या ६—साधारण कार्यवहन व्यय—
संचालन कर्मचारी

मांग संख्या ७—साधारण कार्यवहन व्यय—
संचालन (ईंधन)

मांग सख्या ८—साधारण कार्यवहन व्यय—
संचालन कर्मचारी और ईंधन के अतिरिक्त

मांग संख्या ९—साधारण कार्यवहन व्यय—
विविध व्यय

मांग संख्या ९क—साधारण कार्यवहन व्यय—
श्रम कल्याण

मांग संख्या १०—सरकार द्वारा संचालित गैर-सरकारी लाइनों और दूसरों को भुगतान

मांग संख्या ११—कार्यवहन व्यय—
अवक्षयण रक्षित निधि में विनियोग

मांग संख्या १२क—चालू लाइनों पर काम—
(राजस्व)—श्रम कल्याण

मांग संख्या १२ ख—चालू लाइनों पर काम—
(राजस्व) श्रम कल्याण के अतिरिक्त

मांग संख्या १४—राजस्व रक्षित निधि में विनियोग

मांग संख्या १५—नई लाइनों का निर्माण—
पूंजी तथा अवक्षयण रक्षित निधि

मांग संख्या १६—चालू लाइनों पर नये काम

मांग संख्या १७—चालू लाइनों पर बदलाव के काम

मांग सख्या १८—चालू लाइनों पर काम—
विकास निधि

	स्तम्भ
मांग संख्या १९—विज़गापटम् बन्दरगाह पर पूंजी व्यय	
मांग संख्या २०—सामान्यराजस्व को देय लाभांश	
विनियोग (रेलवे) विधेयक पुरः स्थापित और पारित . .	१२५७–५८
१९५५–५६ के लिये लेखानुदान की मांगें . . .	१२५८–७२
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—	
पुरःस्थापित और पारित	१२७३–७४
श्रमजीवी पत्रकार (औद्योगिक विवाद) विधेयक—पारित	१२८६–९४
विचार करने का प्रस्ताव—	
डा० केसकर .	१२७४–७६
श्री एच० एन० मुकर्जी .	१२७७–८०
श्री एन० सी० चटर्जी	१२८०–८१
श्री वेंकटरामन् .	१२८१–८२
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	१२८२–८४
श्रीमती खोंगमेन	१२८४
श्री डी० सी० शर्मा	१२८४–८६
खण्ड १ से ३—पारित करने का प्रस्ताव—	१२९४
डा० केसकर . . .	१२९४
अंक १४—शुक्रवार, ११ मार्च, १९५५	
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	१२९५
सभा का कार्य—	
आन्ध्र का आय-व्ययक	१२९६–९८
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५४-५५ और लेखानुदानों की मांगें, १९५५–५६ —आन्ध्र	१२९८–१३३८
आन्ध्र विनियोग विधेयक—पुरःस्थापित और पारित . .	१३३७–३९
आन्ध्र विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—	
पुरःस्थापित और पारित	१३३९–४०
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५४-५५—रेलवे	१३४०–४२
विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक—	
पुरःस्थापित और पारित	१३४३–४६
रेलवे सामान (अवैध क़ब्ज़ा) विधेयक—	
विचार करने तथा प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—असमाप्त—	
पंडित ठाकुर दास भार्गव	१३४३–४६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
बाईसवां, प्रतिवेदन—स्वीकृत . . .	१३४६–४७

	स्तम्भ
प्रसारण निगम के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	१३४७–५६
डाक व तार के वित्त के पृथक्करण के बारे में संकल्प—वापस ले लिया गया	१३५६–८५
श्रमिकों द्वारा सामूहिक संपणन के बारे में संकल्प—असमाप्त .	१३८५–९४

अंक १५—शनिवार, १२ मार्च, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—

३१ दिसम्बर, १९५४ को समाप्त हुये अर्द्ध वर्ष में आई० एस० डी० लन्दन द्वारा स्वीकृत न किये गये न्यूनतम टेण्डर वाले मामलों का विवरण .	१३९५
विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण	१३९५–९६
रेलवे सामान (अवैध क़ब्ज़ा) विधेयक—प्रवर समिति को सौंपा गया.	१३९७–१४२१

विचार करने और प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—

पण्डित ठाकुर दास भार्गव	१३९५–१४०५
श्री राघवाचारी	१४०६–०७
श्री सिंहासन सिंह	१४०७–०८
श्री आर० के० चौधरी	१४०८
श्री बर्मन	१४०८–०९
श्री मूलचन्द दूबे	१४०९–१०
श्री एस० सी० सामन्त	१४१०
सरदार हुक्म सिंह	१४१०–११
श्री बी० एन० मिश्र	१४११–१२
श्री एम० डी० जोशी . . .	१४१२
श्री अलगेशन	१४१२–२०

औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) विधेयक—संशोधित रूप में पारित— . . . . . | १४२१

विचार करने और प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव १४२९–३०, १४४२, १४५२–५९

श्री ए० सी० गुहा . . .	१४२१–२५
श्री बंसल	१४२५–२९
श्री डाभी	१४३०–३१
श्री एस० सी० सामन्त . .	१४३१–३२
श्री धुलेकर . . .	१४३२–३३
पडित ठाकुर दास भार्गव . .	१४३३–३९
डा० रामा राव	१४३९–४०
श्री एन० राचय्या . . .	१४४०–४१
श्री सिंहसन सिंह . .	१४४१–४२

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

१ खण्ड १ भारत की प्रथम संसद् के नवें सत्र का प्रथम दिवस संख्या १ २

लोक-सभा

सोमवार, २१ फरवरी १९५५

लोक-सभा बारह बज कर दस मिनट पर समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** (श्री जी० वी० मावलंकर) पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(प्रश्न नहीं पूछे गये—भाग १ प्रकाशित नहीं हुआ)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री बैंजमिन हंसदा (पूर्निया व संथाल परगना—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

राष्ट्रपति का अभिभाषण

सचिव : म २१ फरवरी १९५५ को एक साथ समवेत संसद् के दोनों सदनों के सामने दिये गये राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति पटल पर रखता हूं ।

राष्ट्रपति : संसद् के सदस्यगण, पूरे एक वर्ष के बाद आप से कुछ कहने मैं फिर संसद् में आया हूं । मुझे खुशी है कि पिछला वर्ष, घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की दृष्टि से, हमारे देश के लिये काफी सफलता का वर्ष रहा है । भारत के लोग और यह संसद् अपने कार्य पर संतोष कर सकते हैं । किन्तु सन्तुष्ट हो कर बैठ रहने का यह अवसर नहीं है । हमें अपने देश में गहन समस्याओं का सामना करना है और उधर मानवता के भविष्य पर फिर से युद्ध के काले बादल मंडरा रहे हैं ।

मुझे हर्ष है कि सभी दूसरे देशों से हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण रहे हैं और कुछ देशों के साथ मैत्री तथा सहयोग की भावना में और भी अधिक वृद्धि हुई है । बहुत से देशों से सम्मान्य नेतागण हमारे देश में आये । पिछले वर्ष हमारे यहां पधारने वालों में कैनेडा, इंडोनीसिया, चीन और श्रीलंका के प्रधान मंत्री हैं । यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल का भारत में स्वागत करने का भी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ । हमारे उपराष्ट्रपति ने हमारी सद्भावना का सन्देश अमेरिका, कैनेडा, मैक्सिको, अर्जनटीना, चिली, बोलीविया, पेरू, ब्राज़ील, यूरूगोवे और इटली तक पहुंचाया । हमारे प्रधान मंत्री, मित्र के नाते, चीन, बर्मा, इंडोनीसिया, इंडोचाइना और मिश्र गये । हाल ही में लन्दन में होने वाले राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में उन्हों ने भाग लिया जहां संसार की शांति से सम्बद्ध महत्वपूर्ण मामलों पर स्पष्टता से और मैत्रीपूर्ण ढंग से बातचीत की गई ।

[राष्ट्रपति]

तिब्बत के बारे में चीन और भारत के बीच किये गये समझौते का मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा । इस समझौते द्वारा इन दोनों महान देशों के बीच मैत्री की पुष्टि हुई, जिस का एशिया तथा संसार की शान्ति से इतना अधिक सम्बन्ध है । इस समझौते में कुछ सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है, जिन्हें अधिक व्यापक रूप दिया जा सकता है और बहुत से देशों ने उन सिद्धान्तों को स्वीकार भी किया है । ये पांच सिद्धान्त, जिन्हें प्रायः पंचशील कहा जाता है, ये हैं : एक दूसरे के प्रभुत्व तथा प्रादेशिक अखंडता के लिये पारस्परिक समादर, अनाक्रमण की नीति, एक दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करना, पारस्परिक समता तथा लाभ और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व । इन सिद्धान्तों को मैं आप के समक्ष रखता हूं और यह आशा करता हूं कि ये अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के आधार बनते जायेंगे और इस प्रकार संसार भर की सुरक्षा तथा शान्ति का कारण बनेंगे ।

आलोच्य वर्ष में श्रीलंका के प्रधान मंत्री के सुझाव पर एक महत्वपूर्ण घटना घटी । यह घटना थी कोलम्बो में श्रीलंका, बर्मा, इंडोनीसिया, पाकिस्तान और भारत के प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन । तत्पश्चात् इसी प्रकार का एक सम्मेलन इंडोनीसिया में बोगोर नामक स्थान पर हुआ । इन सम्मेलनों में उपर्युक्त देशों ने, जो एशिया महाद्वीप का बहुत बड़ा भूभाग हैं, अपने विचारों और उद्‌गारों को संगठित रूप से व्यक्त किया और इस से निस्सन्देह शान्ति के पक्ष को समर्थन मिला । इन सम्मेलनों के परिणाम-स्वरूप अब एशिया और अफ्रीका के स्वतंत्र देशों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन इंडोनीसिया में बुलाने का आयोजन किया गया है । इन दो महाद्वीपों के देशों के विकास और विश्वव्यापी हलचलों के क्षेत्र में इन के उत्थान का यह सम्मेलन चरण है । मेरा विश्वास है कि इस के कारण विश्वशान्ति के पक्ष को बल मिलेगा और इन देशों के बीच सहयोग और सद-भावना बढ़ेगी ।

गत वर्ष की सब से बड़ी घटना, जो वास्तव में दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सब से बड़ी घटना है, जेनेवा सम्मेलन था, जिस के कारण इण्डोचाइना में युद्धबन्दी हो सकी और इंडोचाइना के राज्यों की समस्याओं को शान्तिपूर्वक सुलझाने का मार्ग प्रशस्त किया जा सका । जेनवा सम्मेलन को अनेक महत्वपूर्ण और कठिन समस्याओं से जूझना पड़ा, किन्तु सौभाग्य से, शान्तिपूर्ण ढंग से इस समस्या को सुलझाने की दिशा में सम्बद्ध राष्ट्रों के प्रयत्न सफल हुए । इस प्रकार उस सम्मेलन ने संसार के सामने एक उदाहरण रखा है । मैं आशा करता हूं कि दूसरे अन्त-र्राष्ट्रीय झगड़ों को सुलझाने के लिये भविष्य में इस उदाहरण का अनुसरण किया जायगा ।

जेनेवा सम्मेलन के परिणाम-स्वरूप भारत ने इंडोचाइना में नियुक्त किये गये तीन आयोगों में अपने ऊपर भारी ज़िम्मेदारी ली है । भारत की अध्यक्षता में ये आयोग जेनेवा में किये गये निर्णयों को कार्यरूप देने में काफी आगे बढ़ चुके हैं और इन का कार्य प्रशंसनीय है ।

दुर्भाग्य से कुछ झगड़े अभी भी चल रहे हैं जिन के कारण विश्वशांति संकट में है । इन में सब से प्रमुख सुदूरपूर्व-सम्बन्धी, विशेष कर फारमोसा और चीन के तटीय द्वीपों सम्बन्धी संघर्ष हैं । मेरी सरकार चीन की एक ही सरकार को मान्यता देती है और वह है लोक गणराज्य, और वह समझती है कि इस गण-राज्य के दावे उचित हैं । कुछ भी हो, मुझे

पूर्व आशा है कि ये कठिन समस्यायें आपसी बातचीत द्वारा शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझ सकेंगी

यदि हम चाहते हैं कि संसार में समझदारी का बोल बाला रहे, तो यह स्वीकार करना होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को सुलझाने का और कोई रास्ता नहीं रह गया है । न्यूक्लियर और थरमोन्यूक्लियर शस्त्रास्त्र इस सीमा तक विकसित हो चुके हैं कि कोई भी युद्ध जिस में इन का उपयोग किया जायगा संसार के लिये घातक सिद्ध होगा । इस आत्म-हत्या की नीति से संसार की कोई समस्या नहीं सुलझ सकती और न किसी उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है । एक उद्जन बम न केवल एक विस्तृत क्षेत्र में प्रत्येक प्राणी को मार डालता है बल्कि तीव्र विनाशकारी लहरें पैदा करता है, और विनाश लीला का प्रसार दूर दूर तक कर देता है । ऐसे घातक अस्त्रों से सुरक्षा का कोई उपाय नहीं । कुछ देशों के प्रमुख सैनिकों ने निर्विवाद शब्दों में कहा है कि ऐसा व्यापक युद्ध जिस में इन अस्त्रों का उपयोग किया जाय एकदम प्रलयंकारी होगा। मुझे आशा है कि इन अस्त्रों की भयानकता को देखते हुए न केवल इन का उत्पादन बन्द हो जायगा बल्कि मानव समाज यह भी समझ लेगा कि युद्ध किसी भी प्रकार की समस्या को सुलझाने का साधन नहीं बन सकता ।

अणुशक्ति से जहां संसार के विनाश का भय पैदा हो गया है, वहां एक नवीन आशा की किरण का जन्म भी हुआ है, बशर्ते-कि इस का उपयोग शान्तिपूर्ण कार्यों में किया जाय । समस्त संसार के लोगों के जीवन-यापन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये आवश्यक साधन अणुशक्ति द्वारा जुटाये जा सकते हैं । अर्धविकसित देशों को उन्नत करने की दिशा में इस का विशेष महत्व है । इस लिये अणुशक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोगों पर विचार करने के लिये राष्ट्र संघ ने जेनेवा में वैज्ञानिक सम्मेलन का जो आयोजन किया है उस का हमें स्वागत करना चाहिये । यह सम्मेलन न केवल अणुशक्ति की सम्भावनाओं पर विचार करेगा, बल्कि जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और कृषि विज्ञान की दृष्टियों से भी उस पर विचार करेगा ।

शान्तिपूर्ण बातचीत द्वारा एक कठिन समस्या के निपटारे का एक और उदाहरण भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का भारत सरकार को सौंपा जाना है । इन बस्तियों के नागरिकों का हम सहर्ष स्वागत करते हैं । इस समस्या को सुलझाने में फ्रांसीसी सरकार ने जिस नीतिज्ञता का परिचय दिया उस की मैं सराहना करना चाहूंगा । मैं आशा करता हूं कि भारत में पुर्तगाली बस्तियों की समस्या भी इसी प्रकार शान्तिपूर्ण ढंग से जल्द ही सुलझ जायगी ।

देश की आर्थिक स्थिति में बराबर सुधार हुआ है । पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे उन में से बहुत से पहले तीन वर्षों में ही प्राप्त कर लिये गये हैं । १९५३-५४ में अनाजों का उत्पादन पंचवर्षीय योजना के निर्धारित लक्ष्य से ४४ लाख टन अधिक हुआ । कृषि उत्पादन सूचक-अंक जो १९५०-५१ में ९६ थे, १९५३-५४ में बढ़ कर ११४ हो गये । औद्योगिक उत्पादन के सूचक-अंक १९५४ में १४४ तक जा पहुंचे, जबकि १९५३ में वे १३५ थे, जो संख्या स्वाधीनता के बाद सब से ऊंची थी । गत ४ वर्षों से सूचक-अंक औसतन १० प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़े हैं ।

उत्पादन में सुधार हो जाने के कारण कंट्रोल भी उठा दिये गये हैं । अनाजों का अधिक उत्पादन होने से उन क्षेत्रों में जहां पैदावार मांग की अपेक्षा अधिक थी, भाव

[राष्ट्रपति]

बहुत अधिक गिरने की प्रवृत्ति पाई गई । भावों को लाभहीन स्तर तक न गिरने देने के लिये सरकार ने निर्धारित मूल्यों पर अनाज खरीदने का निश्चय किया ।

मेरी सरकार ने इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया को अपने सक्रिय नियंत्रण में लेने का निश्चय किया है, विशेष कर इसलिये कि देहाती और पिछड़े हुए इलाकों को उधार-सम्बन्धी सुविधायें अधिक से अधिक दी जा सकें । इंडियन इंडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन की स्थापना से, आशा है, हमारे गैर-सरकारी उद्योगों के क्षेत्र को बहुत लाभ पहुंचेगा ।

सिन्द्री में वैज्ञानिक खाद तैयार करने में काफी प्रगति की जा चुकी है । विगत वर्ष में विशाकापटनम् के हिन्दुस्तान शिप-यार्ड ने दो आठ-आठ हज़ार टन के जहाज़ तैयार किये और एक सात हज़ार टन का पोत समुद्र में उतारा । पश्चिमी बंगाल में रूपनारायणपुर की टेलिफोन केबल फैक्टरी में भी उत्पादन शुरू हो गया है । तार और डाक विभाग की इस सम्बन्ध में जितनी भी आवश्यकतायें होंगी, उन्हें इस कारखाने द्वारा पूरी करने की व्यवस्था की गई है । पिम्प्री का पेनिसिलीन कारखाना और दिल्ली का डी० डी० टी० कारखाना भी चालू होने जा रहा है और मलेरिया-विरोधी कार्यक्रम की आवश्यकता पूरी करने के हेतु एक और डी० डी० टी० कारखाना खोलने का भी विचार है ।

देश के इस्पात और लोहे के उत्पादन में वृद्धि को मेरी सरकार बहुत महत्व देती है । इस उद्देश्य से दो नये कारखाने खोलने का निश्चय किया जा चुका है । इन कारखानों का मालिक राष्ट्र होगा । एक कारखाना रूरेकेला में खोला जायगा और दूसरा मध्य प्रदेश के भीलाई प्रदेश में स्थापित किया जायगा । इस दूसरे कारखाने के सम्बन्ध में सोवियत रूस की सरकार से एक प्रारम्भिक करार किया जा चुका है ।

उत्पादन में वृद्धि और रोजगार के विकास की दृष्टि से मेरी सरकार कुटीर और छोटे उद्योगों की उन्नति को भी बहुत महत्वपूर्ण मानती है । इन उद्योगों में आधुनिक कार्य-प्रणाली का संचार करने के लिये चार विशेष प्रादेशिक संस्थाओं की स्थापना की जा रही है ।

हमारी महान नदी-घाटी योजनायें काफी आगे बढ़ चुकी हैं । कई एक नई योजनायें भी बनाई जा रही हैं । इन योजनाओं को कार्य रूप देने में हमें जनता द्वारा जो सहयोग मिल रहा है, उस का मैं खास तौर से जिक्र करना चाहूंगा । इन में भी कोसी यौजना में जो सार्वजनिक सहायता प्राप्त हुई है वह उल्लेखनीय है ।

दो वर्ष से कुछ अधिक समय में ही, अक्तूबर १९५२ में चालू की गई सामुदायिक योजना तथा राष्ट्रीय विस्तार के कार्यक्रम के अन्तर्गत देश भर की देहाती जनसंख्या का पांचवां हिस्सा आ चुका है । इस समय इस कार्यक्रम से ८८,००० ग्राम लाभ उठा रहे हैं और इस से कृषि, पशु सुधार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, यातायात, शिक्षा और सिंचाई के क्षेत्रों में बहुत उन्नति हुई है । दूसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक, आशा है, राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त देश आ चुकेगा । इस कार्यक्रम का सब से महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जनता में सहयोग और उत्साह का संचार हुआ है, उन में एक नवीन जागृति आई है और वे मिल जुल कर सब के हित

के लिये काम करने में विश्वास करने लगे हैं ।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्र और राज्यों में उन्नति तथा सार्वजनिक व्यय में क्रमिक वृद्धि हुई है । अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में सुधार की दिशा में स्थायी कार्य तथा देहातों और शहरों में पानी और बिजली की व्यवस्था को विशेष महत्व दिया गया है ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के निर्माण का कार्य अभी आरम्भ हुआ है । पहली योजना की अपेक्षा इस योजना के अधिक व्यापक होने की आशा है । ख्याल है कि इस योजना में भारी उद्योगों की स्थापना, रोज़गार के विस्तार और शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन पर अधिक बल दिया जायेगा ।

आन्ध्र राज्य में ऐसी स्थिति पैदा हो जाने से जिस में संविधान के अनुसार राज्य का प्रशासन कार्य नहीं चल सकता था, मैं ने संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अनुसार आवश्यक पग उठाने की उद्घोषणा की । इस राज्य में इस समय चुनाव हो रहे हैं और आशा है यथाशीघ्र साधारण वैधानिक प्रणाली से प्रशासन कार्य फिर से चालू हो सकेगा ।

आप को चतुर्थ संविधान संशोधन विधेयक पर विचार करना होगा । आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति के लिये और संविधान में दिये गये आदेशों को कार्यान्वित करने के लिये यह संशोधन आवश्यक हो गया है ।

१९५५-५६ का भारत सरकार का आय और व्यय सम्बन्धी विवरण आप के सामने रखा जायेगा ।

लोक सभा के पिछले सत्र के बाद एक अध्यादेश जारी करना आवश्यक हो गया । इस अध्यादेश के बारे में एक विधेयक आप के सामने रखा जायगा । और बहुत से विधेयक भी विचारार्थ रहते हैं, जिन में से कुछ पर प्रवर समितियां विचार कर चुकी हैं ।

विगत वर्ष में हम ने जो उन्नति की है, उस से हमारे देशवासियों में भविष्य के प्रति आशा और आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न हो सकी है । भावी निर्माण का यही दृढ़ आधार है । संसद् के सदस्यगण, इस आशा को मूर्तिमान करना और देश को उस के निर्धारित लक्ष्य, अर्थात् कल्याण राज्य की स्थापना, तक पहुंचाना तथा समाज का समाजवादी नक्शे के अनुरूप पुनर्गठन करना, आप लोगों का कार्य है ।

सर्वश्री बोरकर, जमनादास मेहता, साल्वे और शारदा का निधन

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को, अपने चार मित्र श्री नाम अर्जुन बोरकर, श्री जमनादास मेहता, श्री पी० के० साल्वा और श्री हरिविलास शारदा की दुःखद मृत्यु की सूचना देता हूं ।

श्री बोरकर की मृत्यु २ फरवरी, १९५५ को प्रातःकाल नागपुर हवाई अड्डे के निकट वायुयान दुर्घटना के कारण हुई । वह एक प्रमुख हरिजन कार्यकर्ता थे ; वह मई १९५४ में मध्यप्रदेश के भंडारा निर्वाचन क्षेत्र से चुने गये थे । हमें उन के निधन पर बड़ा दुःख है ।

श्री जमनादास मेहता पुरानी केन्द्रीय असेम्बली के एक प्रमुख सदस्य थे । उन की मृत्यु ७ फरवरी, १९५५ को बम्बई में हुई । उन की आयु ७१ वर्ष थी ।

श्री पी० के० साल्वा पुरानी केन्द्रीय असेम्बली के सदस्य थे । उन की मृत्यु ७२ वर्ष की अवस्था में १७ फरवरी, १९५५ को नागपुर में हुई ।

[अध्यक्ष महोदय]

श्री हरिविलास शारदा पुरानी केन्द्रीय असेम्बली के एक प्रमुख सदस्य थे । वह ८७ वर्ष की आयु प्राप्त कर के २० जनवरी, १९५५ को अजमेर में परलोक सिधारे । वह १९२४ में अजमेर-मेरवाड़ा से केन्द्रीय असेम्बली के सदस्य चुने गये थे, और असेम्बली के राष्ट्रीय दल के उपनेता थे । श्री शारदा बाल विवाह निषेध विधेयक, जो बाद में शारदा ऐक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ, के निर्माता थे ।

हम इन मित्रों के निधन पर दुःख प्रकट करते हैं और मुझे विश्वास है कि सभा के सभी सदस्य मेरे साथ उन के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करेंगे । सभा के सभी सदस्य शोक प्रकट करने के लिये एक मिनट मौन खड़े रहें ।

स्थगन प्रस्ताव

आन्ध्र में निर्वाचन

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है जो निम्न प्रकार है :

"आन्ध्र के आम चुनावों के दौरान में उस राज्य के मतदाताओं को अपने मताधिकार के प्रयोग के लिये पर्याप्त संरक्षण देने में सरकार की असफलता, जोकि इन घटनाओं से प्रकट है कि १५ फरवरी १९५५ को ५००० मतदाताओं को नल्लामदा चुनाव क्षेत्र के मतदान केन्द्रों में जाने से बलपूर्वक रोका गया, इसी प्रकार चल्लापल्ली चुनाव क्षेत्र में भी १२०० मतदाताओं को बलपूर्वक रोक कर साम्यवादी दल के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के चुनाव कार्यालयों को तोड़ा- फोड़ा गया और श्री पी० वी० राघवैय्या, संसद सदस्य को १३ फरवरी, १९५५ को ओंगोले नामक स्थान पर पीटा गया ।"

मैं इस सम्बन्ध में सरकार से पूछना चाहता हू कि तथ्य क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मेरा सुझाव है कि इस विषय पर कल विचार किया जाय, जब माननीय गृह मंत्री यहां उपस्थित हों ।

अध्यक्ष महोदय : इसी बीच वह तथ्यों का पता भी लगा लें ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी, हां ।

अध्यक्ष महोदय : अतः इसे स्थगित किया जाता है ।

पटल पर रखे गये पत्र

राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विधेयक

सचिव : मैं, आठवें सत्र, १९५४ में संसद् के सदनों द्वारा पारित किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विधेयकों के विवरण की एक प्रति पटल पर रखता हूं ।

विवरण

(१) आन्ध्र राज्य विधानमण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, १९५४ ।

(२) भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५४ ।

(३) विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९५४ ।

(४) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, १९५४ ।

(५) चाय (संशोधन) विधेयक, १९५४ ।

(६) काफ़ी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक, १९५४ ।

(७) निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक, १९५४ ।

(८) चाय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५४ ।

(९) अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान मंडल) विधेयक, १९५४ ।

(१०) रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक, १९५२ ।

(११) परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक, १९५४ ।

(१२) आन्ध्र विनियोग विधेयक, १९५४ ।

भारतीय विमान अधिनियम की धारा ५ उपधारा (३) के अधीन अधिसूचनायें

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं भारतीय विमान अधिनियम की धारा ५ उपधारा (३) के अधीन व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित निम्न अधिसूचनाओं की एक प्रति पटल पर रखता हूं :

(१) संचार मंत्रालय अधिसूचना संख्या १०-अ/२४-५३ दिनांक २१ अक्टूबर, १९५३;

(२) संचार मंत्रालय अधिसूचना संख्या १०-अ/७६-५४ दिनांक १८ सितम्बर १९५४; और

(३) संचार मंत्रालय अधिसूचना संख्या १०-अ/७-५२ दिनांक १६ नवम्बर, १९५४ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस--२/५५].

सूती वस्त्र मशीनरी, कास्टिक सोडा तथा ब्लीचिंग पाउडर, मोटर गाड़ियों के स्पार्किंग प्लग, स्टीरिक तथा ओलीक एसिड, आयल प्रैशर लैम्प और रंग उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और तत्सम्बन्धी सरकारी अधिसूचनायें तथा संकल्प

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : मैं प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) सूती वस्त्र की मशीनों (कातने के रिंग फ्रेम्स, तकुए, कातने के रिंग्स, नाली वाले बेलन, टीन के बेलन तथा करघा के उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ ;

(२) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या ३६(६) टी० बी०/५३ दिनांक ३१ दिसम्बर, १९५४ ;

(३) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या ३६(६) टी० बी०/५३ दिनांक ३१ दिसम्बर, १९५४ ;

(४) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६(२) के परन्तुक के अधीन विवरण जिस में उपरोक्त (१) से (३) में निर्दिष्ट दस्तावेजों की एक एक प्रति नियत अवधि के अन्दर न रखे जाने के कारण बताये गये हैं ।

(५) कास्टिक सोडा तथा ब्लीचिंग पाउडर उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ ;

(६) वाणिज्य तथा उद्योग मत्रालय का संकल्प संख्या ३२ (१) टी० बी०/५४ दिनांक २८ जनवरी, १९५५; और

[श्री करमरकर]

(७) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या ३२ (१) टी० बी० /५४, दिनांक २८ जनवरी १९५५ ; तथा

(८) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६(२) के परन्तुक के अधीन विवरण जिस में उपरोक्त (५) से (७) में निर्दिष्ट दस्तावेजों की एक एक प्रति नियत अवधि के अन्दर न रखे जाने के कारण बताये गये हैं ।

(९) मोटर गाड़ी प्लग उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन १९५४ ;

(१०) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या २१(२) टी० बी०/५४, दिनांक २२ जनवरी, १९५५ ;

(११) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या २१(२) टी० बी० /५४, दिनांक २२ जनवरी, १९५५ ;

(१२) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६(२) के परन्तुक के अधीन विवरण जिस में उपरोक्त (९) से (११) में निर्दिष्ट दस्तावेजों की एक एक प्रति नियत अवधि के अन्दर न रखे जाने के कारण बताये गये हैं ।

(१३) स्टीरिक एसिड तथा ओलीक एसिड उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४;

(१४) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या २(१) टी० बी०/५४, दिनांक ३१ दिसम्बर, १९५४ ; और

(१५) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या २(१) टी० बी०/५४, दिनांक ३१ दिसम्बर, १९५४ ।

(१६) आयल प्रैशर लैम्पों के उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ ;

(१७) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या ४६ (१) टी० बी०/५४, दिनांक ३१ दिसम्बर, १९५४ ; और

(१८) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या ४६ (१) टी० बी० /५४, दिनांक ३१ दिसम्बर, १९५४ ।

[पुस्तकालय में रख दी गई । **देखिये** संख्या एस--३/५५].

(१९) रंग सामान उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ ;

(२०) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या ७८ (१) टी० बी०/५४, दिनांक २ फरवरी, १९५५ ; और

(२१) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या ७८ (१) टी० बी०/ ५४, दिनांक २ फरवरी, १९५५ ।

[पुस्तकालय में रख दी गई । **देखिये** संख्या एस-१२/५५].

अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम की धारा२२ () के अधीन अधिसूचना

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : मैं अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम, १९५२ की धारा २२ की उपधारा (३) के अधीन निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय की निम्नलखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति पटल पर रखता हूं ।

(१) अधिसूचना संख्या ८०६४-ई २/५४, दिनांक २९ सितम्बर, १९५४ ;

(२) अधिसूचना संख्या ८२७३-ई २/५४, दिनांक ४ अक्तूबर, १९५४ ; और

(३) अधिसूचना संख्या ८८५५-ई २/५४, दिनांक १९ अक्तूबर, १९५४ ।

[पुस्तकालय म रख दी गई । **देखिये** संख्या एस -१३/५५]

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम की धारा ३८ के अधीन अधिसूचनायें

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : मैं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अधीन निम्नलिखित उत्पादन शुल्क अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभापटल पर रखता हूं ।

(१) अधिसूचना संख्या ५३, दिनांक २२ दिसम्बर, १९५४ ; और

(२) अधिसूचना संख्या १, दिनांक २९ जनवरी, १९५५ ।

[पुस्तकालय में रख दी गई । देखिये संख्या एस–५/५५]

अत्यावश्यक पण्य अध्यादेश

संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं संविधान के अनुच्छेद १२३(२)(क) के उपबन्धों के अधीन अत्यावश्यक पण्य अध्यादेश, १९५५ (१९५५ की संख्या १) की, जिसे राष्ट्रपति ने संसद् के सदनों के आठवें सत्र की समाप्ति के पश्चात् लागू किया था, एक प्रति पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रख दी गई । संख्या एस–६/५५].

मोटर गाड़ी हैंड टायर इन्फ्लेटर उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और तत्सम्बन्धी सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : मैं प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अधीन निम्न पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) मोटर गाड़ी हैंड टायर इन्फ्लेट उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ ;

(२) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या २१ (३) टी० बी०/५४ दिनांक १४ फरवरी, १९५५ ; और

(३) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या २१(३) टी० बी०/५४, दिनांक १४ फरवरी, १९५५ ।

[पुस्तकालय में रख दी गई । देखिये संख्या एस०–७/५५].

भारतीय प्रशुल्क अधिनियम की धारा ४क (२) के अधीन अधिसूचनायें

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : मैं भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ की धारा ४क की उपधारा २ के अधीन निम्न पत्रों की एक एक प्रति सभापटल पर रखता हूं ।

(१) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ११२, दिनांक ८ जनवरी, १९५५ ;

(२) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ११३, दिनांक ९ जनवरी, १९५५ ;

(३) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३३२, दिनांक ५ फरवरी १९५५ ; और

(४) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३८६, दिनांक १५ फरवरी, १९५५ ;

[पुस्तकालय में रख दी गई । देखिये संख्या एस–८/५५].

श्री महताब का त्यागपत्र

अध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय सदस्यों को सूचना देनी है कि श्री हरे कृष्ण महताब ने २८ जनवरी, १९५५ से सभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है ।

इस के साथ ही सभा की कार्यवाही समाप्त होती है । सभा अब स्थगित होती है ।

इस के पश्चात, लोक-सभा, मंगलवार २२ फरवरी, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।